दिनांक 04.09.2014 को उपायुक्त धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए. की अध्यक्षता में जे.आर.डी.ए. की कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
2. प्रभारी पदाधिकारी (आर. एण्ड आर. एवं स्था.) जे.आर.डी.ए., धनबाद।
3. मुख्य प्रबंधक (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
4. प्रभारी भू–अर्जन, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
5. कार्यपाल अभियंता (असैनिक), जे.आर.डी.ए., धनबाद।
6. सहायक प्रबंधक, जे.आर.डी.ए., धनबाद।
7. **M/s Web Emission,** धनबाद।

पूर्व के समीक्षात्मक बैठक (21.07.2014) की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई।

1. Data Base Management के कार्यो की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अभी तक की हुई प्रगति को असन्तोषजनक बतलाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाय। CIMFR, ISM इत्यादि से Raw data उपलब्ध नहीं हो सका है उसके लिए प्रभारी पदाधिकारी (आर. एण्ड आर.) स्वयं सम्पर्क स्थापित करे। यह कार्य बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी हैं। यदि आवश्यक समझा जाय तो उनके हस्ताक्षर से पत्र दिया जाय।
2. बेलगड़िया में प्रतिस्थापित हो रहे Electric meter के संबंध में उपायुक्त का आदेश हुआ कि वहाँ शीघ्र meter लगाने का कार्य पूरा किया जाय और प्रारम्भिक काल में विद्युत शुल्क एकत्रित करने के लिए जे.आर.डी.ए. में एक कोषांग गठित किया जाय जो प्रति माह प्रत्येक आवास जाकर विद्युत meter reading करेगा और विद्युत विपत्र तैयार कर उन्हें उपलब्ध करायेगा। तदोपरान्त यही कोषांग विद्युत शुल्क की राशि प्राप्त करेगा।
3. चर्चा के क्रम में मुख्य प्रबंधक (असैनिक) के द्वारा बतलाया गया कि बेलगड़िया में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ तक कि Transformer को भी Encroach कर लिया गया है। इससे कभी भी खतरा हो सकता है। उपायुक्त का आदेश हुआ कि अंचलाधिकारी, बलियापुर से सम्पर्क स्थापित कर बेलगड़िया में हुए Encroachment को बलपूर्वक हटाया जाय। उपायुक्त के हस्ताक्षर से अंचलाधिकारी को पत्र भेजा जाय।
4. Web Emission के प्रतिनिधि, श्री मित्रा के द्वारा समर्पित Estimate को सभी प्रतिस्थापित परम्परा का निर्वाह करते हुए अंतिम रूप दिये जाने का आदेश हुआ।
5. उपायुक्त का यह भी आदेश हुआ कि ISM एवं CIMFR से प्राप्त सभी DVD को Web emission को दे दिया जाय ताकि DVD से त्रुटियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके और उनके निराकरण के लिए कार्रवाई आरम्भ हो सके।
6. चर्चा के दौरान उपायुक्त का यह भी आदेश हुआ कि जे.आर.डी.ए. में प्रतिस्थापित तीन दूरभाष में से एक दूरभाष को फैक्स मशीन से शीघ्र जोड़ने की कार्रवाई की जाय एवं दूसरे को ब्राड–बैण्ड से कनेक्ट किया जाय। कार्यालय में वाई फाई जोन की व्यवस्था की जाय। साथ ही एक बड़ा UPS भी लगवाया जाय ताकि सभी कम्प्यूटर को विद्युत व्यवधान होने पर भी चालू रखा जा सके।

7. भूमि अर्जन के मामलें की समीक्षा के संबंध में उपायुक्त का आदेश हुआ कि भूमि के दरों में हो रही वृद्धि पर श्री युगल किशोर, भू–अर्जन पदाधिकारी अपनी नज़र रखेंगे।

8. सिविल कार्यो की समीक्षा की गई। इस संबंध में उपायुक्त का आदेश हुआ कि ढ़ोखरा से जोड़ाफाटक तक रिंग रोड़ के लिए Rites द्वारा तैयार किए गये Revised DPR पर विचार–विमर्श के लिए जे.आर.डी.ए. का अभियंत्रण प्रभाग दिनांक 10.09.2014 को राँची जायेगा तथा केन्द्रीय रूपाँकन संस्थान से विचार–विमर्श कर DPR को पारित कराने का प्रयास करेगा।

9. उपायुक्त द्वारा कार्यालय में चल रहे प्रगति कार्य का निरीक्षण किया गया। रिकार्ड रूम के विषय में उनका आदेश हुआ कि कार्यालय में आलमीरा के स्थान पर खुले रेक को प्रतिस्थापित कराया जाय क्योंकि आलमीरा अधिक जगह Cover करता है।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

उपायुक्त, धनबाद
--सह'
प्रबंध निदेशक,
जे.आर.डी.ए., धनबाद।